

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-प.३(2)मुख्यालय/156बी/2026/

दिनांक:-E-sign date

उप महानिरीक्षक कारागार,
रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
प्रभारी समस्त एवं कारागृह, राजस्थान।

विषय:-कार्यालय कार्यों में बंदियों को नियोजित नहीं किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि कारागृहों में निरुद्ध किसी भी बंदी को कार्यालय के कार्य हेतु नियोजित नहीं किया जाए। बंदियों से कार्यालयों में लिपिकीय, कम्प्यूटर संबंधी, दस्तावेज रख-रखाव, पत्रावलियों के संधारण अथवा अन्य किसी भी प्रकार का कार्यालयी कार्य नहीं करवाये जावें।

अतः समस्त कारागृह प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि आपके कारागृह में कोई भी बंदी कार्यालय में कार्यरत/नियोजित नहीं हो/रहे। यदि वर्तमान में किसी बंदी से कार्यालय कार्य करवाया जा रहा है तो उसे तत्काल कार्य से हटाया जावे।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार गुप्ता)
अति. पुलिस अधीक्षक,
महानिदेशालय कारागार,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
2. समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय कारागार राज. जयपुर।

अति. पुलिस अधीक्षक,
महानिदेशालय कारागार,
राजस्थान, जयपुर

Date 17-08-2026

Office address-Directorate General, Prisons, Ghatgate, Jaipur-302003

rajprisons@nic.in
24067849

Page 1 of 1
Digitally signed by
RAJENDRA KUMAR GUPTA
Designation: Additional
Superintendent of Police
Date: 2026-08-17 14:46:56
IST